बनवारी लाल .... बनाम .... भूराराम ....

किस्म मुकदमा .... प्रा०वि०/धा० RT ACT .... नं. ...... 62 .... सन् ...... 2021 ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीखहुक्म अंहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
3/9/21	प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र जाट ने यह आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 30.09.2021 को पेश हो। प्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरित करने व नवनिर्माण करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। प्रार्थनापत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम रूप से इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण **वाके ग्राम खूड प0ह0 खूड तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा 2335/1004 किता 1 कुल रकबा 0.2446 है0 का आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें व नवनिर्माण न करें। उक्त स्थगन राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तों के अमल दरामद/ राको रोड़ा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।** प्रार्थी नोटिस की तामील की सामान्य एवं साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेवाकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थीया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार एकपक्षीय आदेश का युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करें अन्यथा अंतरिम आदेश का आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेंगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। पत्रावली वास्ते देखने तामील दिनांक 30.09.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दांतारामगढ़ (सीकर)	

9.9.21	पत्रावली पेश हुई। वादीगण प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर द्वारा दावा विड्रा कर लिया है इसलिए ~~इसे~~ प्रार्थना पत्र चलने का कोई औचित्य नहीं है प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो अ सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दांतारामगढ़ (सीकर)	का तारीख मे राजीनामा होने के कारण नही चलाना चाहता वादी दस्तखत [illegible] Raghu[illegible] सु[illegible]